

शासनादेश संख्या-89 / अरसठ -3-2018-2041 / 2019 दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं संख्या-196 / अडसठ
-3-2020 -2041 / 2018 दिनांक 29 जून, 2020 (अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक स्तर की पाँच कक्षाएँ)

प्रपक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड़।

सवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल,
प्रीत विहार हापुड़,
जनपद हापुड़।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता / 14146-50

/2020-21

दिनांक 31/03/2021

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र। महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों से एवं जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 31.03.2021 के कार्यवृत्त में व्यक्त सहमति के आधार पर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार, हापुड़, जनपद हापुड़ को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्तर की पाँच कक्षाओं (अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।

115. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
116. विद्यालय कक्षा में (यथारिथिति, नर्सरी कक्षा में) तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
117. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा। ऐसी प्रति पूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
118. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
119. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - ख- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - ग- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - च- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - छ- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - ज- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - झ- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
120. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
121. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के गानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

Principal
Delhi Public School
Preet Vihar Hapur

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-	29006.00 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्र	-	4716.71 वर्ग मी०
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल	-	उपरोक्त में सम्मिलित
प्राध्यापक -सह-कार्यालय-सह -भांडागर के लिए कक्ष	-	83
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-	38
मिड-डे -मील पकाने के लिए रसोई	-	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	-	उपलब्ध है।
बाधा रहित पहुँच	-	हो

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

122. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
123. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग कर्मल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा है।
124. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
125. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
126. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटेंड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा का जाना चाहिए और उसके प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
127. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
128. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
129. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
130. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
131. विद्यालय में शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
132. निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः 01 वर्ष के लिए दी जायेगी 0 वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर 01 वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता कर दी जायेगी।
133. यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी को किसी भी माध्यम से यह संज्ञानित होता है कि यह मान्यता प्रबन्धक/विद्यालय द्वारा विभाग से तथ्य गोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय का पूर्व से मान्यता प्रदान की गयी है, तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निर्गत तिथि से ही निरस्त माना जायेगा और विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय एवं प्रबन्धक को विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

भवदीय

(अर्चना गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।

पृ०सं०/बेसिक/मान्यता/


/2020-21

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
26. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।
27. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें तथा य सुनिश्चित करें। कि विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन किया जाय, और यदि उपरोक्त प्राविधानों के सम्यक अनुपालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।
28. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।


Principal
Bhali Public School
Preet Vihar Hapur

शासनादेश संख्या-89 / अरसठ -3-2018-2041 / 2019 दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं
संख्या-196 / अडसठ -3-2020 -2041 / 2018 दिनांक 29 जून, 2020 (अंग्रेजी माध्यम कक्षा 6 से 8 तक)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली, पब्लिक स्कूल,
प्रीत विहार, हापुड,
जनपद हापुड।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता / 14196-14200 / 2020-21

दिनांक 31/03/2021

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों से एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्रांक प्रबन्ध/1996/2020-21 दिनांक 30.03.2021 के द्वारा प्रेषित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2021 के कार्यवृत्त में व्यक्त सहमति के आधार पर, मैं, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, प्रीत विहार, हापुड जनपद हापुड को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की सूचना देती हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के प्रश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा। ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता - पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
ख- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
ग- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
च- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
छ- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
ज- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
झ- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-


Principal
Delhi Public School
Preet Vihar, Hapur



विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

प्राध्यापक -सह-कार्यालय-सह -भांडागर के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

मिड-डे -मील पकाने के लिए रसोई

पेयजल सुविधा

बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता

- 29006.00 वर्ग मी०
4716.719 वर्ग मी०
उपरोक्त में सम्मिलित
83
35
उपलब्ध हैं।
उपलब्ध हैं।
हैं
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
16. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
17. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
18. विद्यालय में शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
19. निर्धारित प्रारूप पर नियावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः 01 वर्ष के लिए दी जायेगी 01 वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर 01 वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता कर दी जायेगी।
20. यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी को किसी भी माध्यम से यह संज्ञानित होता है कि यह मान्यता प्रबन्धक/विद्यालय द्वारा विभाग से तथ्य गोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व से मान्यता प्रदान की गयी है, तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निर्गत तिथि ये ही निरस्त माना जायेगा और विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय एवं प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा

भवदीय

(अर्चना गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

हापुड।

तददिनांक 31/3/2021

पू०सं०/बेसिक/मान्यता/

/2020-21

प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें। कि विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन किया जाय, और यदि उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।
4. कार्यालय प्रति।

Principal
Delhi Public School
Preet Vihar Hapur

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।